अनुदान संख्या 59 – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 59 – MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*106,85,00*	*99,87,04*	*-6,97,96*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	36885,14,00			
			81219,85,00	80940,42,90	-279,42,10
पूरक	Supplementary	44334,71,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*35,07,00*	*29,50,83*	*-5,56,17*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	25723,95,00			
			25921,45,00	25917,38,56	-4,06,44
पूरक	Supplementary	197,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, ₹*232.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹*232.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat – General Services					
मू.	O.	11222.00				
				11257.00	10273.24	-983.76
पु.	R.	35.00				
मुख्य शीर्ष "2058" लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing					
मू.	O.	22939.00				
				20987.00	17922.24	-3064.76
पु.	R.	-1952.00				
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works					
मू.	O.	210547.00				
पू.	S.	6301.00		200605.08	198364.68	-2240.40
पु.	R.	-16242.92				
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing					
मू.	O.	1387365.00				
पू.	S.	3716969.00		5117800.47	5117162.47	-638.00
पु.	R.	13466.47				
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development					
मू.	O.	73094.00				
				60402.20	58147.27	-2254.93
पु.	R.	-12691.80				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	67407.00			
पू.	S.	900.00	17782.29	. .	-17782.29
पु.	R.	-50524.71			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	22671.00			
पू.	S.	5001.00	35862.00	35677.51	-184.49
पु.	R.	8190.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	1813955.00			
पू.	S.	700000.00	2572798.36	2572783.97	-14.39
पु.	R.	58843.36			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	79001.00			
पू.	S.	4300.00	84177.60	83540.07	-637.53
पु.	R.	876.60			

(I) ₹868421.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹900.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹867976.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹868421.00 lakhs (including supplementary grant of ₹900.00 lakhs obtained in December, 2021) remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹867976.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "शहरी आवास – आरक्षित निधियों/जमा खातों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसरंचना निधि को अंतरण" – ₹645793.00 लाख – केन्द्रीय सड़क अवसरंचना निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को धनराशि देना जारी न रखने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "शहरी आवास – अन्य अनुदान – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर)" – ₹23300.00 लाख;

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹5646.00 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹2999.00 लाख(दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" – ₹1732.00 लाख;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹7399.00 लाख; और

(ङ) "केन्द्रीय सहायता हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹15000.00 लाख;

(A) Major Head "2216" - "Urban Housing - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)"- ₹645793.00 lakhs - due to discontinuation of funding to Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) through Central Road and Infrastructure Fund (CRIF).

(B) Major Head "2552" -

(a) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" – ₹23300.00 lakhs;

(b) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)"- ₹5646.00 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹2999.00 lakhs (including supplementary grant of ₹900.00 lakhs obtained in December, 2021); and

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)"- ₹1732.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - ₹7399.00 lakhs;

(e) "Central Assistance Share - Swachh Bharat Mission(SBM)" - ₹15000.00 lakhs; and

(च) ″पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पुल संसाधन – पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना″ – ₹11900.00 लाख.

(f) "Central Pool of Resources for North East Region - North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)" - ₹11900.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से कम मांग प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of less demand from North Eastern Areas and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष ″3601″ – ″केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधियों/जमा खातों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण″ – ₹153507.00 लाख; और

(C) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)"- ₹153507.00 lakhs; and

(घा) मुख्य शीर्ष ″3602″ – ″केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधियों/जमा खातों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण″ – ₹700.00 लाख।

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)"- ₹700.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत प्रावधान केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना को धनराशि देना जारी न रखने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to discontinuation of funding to Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban) through Central Road Infrastructure Fund (CRIF).

(II) मुख्य शीर्ष ″2052″ – ″सचिवालय – आवास और शहरी मामले″ – ₹948.76 लाख की बचत (₹11222.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Housing and Urban Affairs" - saving of ₹948.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11222.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and other establishment related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष ″2058″ के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2058"- savings occurred under the following heads:-

(का) ″लेखन सामग्री स्टोर की खरीद और आपूर्ति – लेखन सामग्री नियंत्रक″ – ₹803.27 लाख की बचत (₹4481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery"- saving of ₹803.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4481.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "सरकारी प्रेस – मुद्रण और मुद्रण प्रेस निदेशालय" – ₹3577.37 लाख की बचत (₹15988.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और विक्रेता द्वारा कागज की सप्लाई न करने के कारण हुई।

(B) "Government Presses – Directorate of Printing and Printing Presses"- saving of ₹3577.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15988.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies, non-filling up of vacant posts and non-supply of paper by vendor.

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2059"- savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन" – "रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" –3560.29 लाख की बचत (₹15100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Office Buildings - Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment" – saving of ₹3560.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15100.00 lakhs); and

(खा) "अन्य भवन – रख–रखाव और मरम्मत" – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1302.25 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Other Buildings - Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment" - saving of ₹1302.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता और उनके रिक्त पद न भरे जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards pay & allowances and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(गा) "सामान्य" –

(C) "General" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration"-

(i) "निष्पादन" – ₹1413.37 लाख की बचत (₹6122.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिक्त पद न भरे जाने के कारण हुई।

(i) "Execution" – saving of ₹1413.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6122.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances and non-filling up of vacant posts by implementing agencies of Central Public Works Department.

(ii) "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापना" – ₹8278.28 लाख की बचत (₹109702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पद न भरे जाने और वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार मितव्ययिता उपायों को अपनाए जाने के कारण स्थापना संबंधी कम खर्चों के कारण हुई।

(ii) "CPWD Establishment" – saving of ₹8278.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹109702.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances, non-filling up of vacant posts of work charged staff by implementing agencies of Central Public Works Department and less establishment related expenses owing to adoption of economy measures as per directions of Ministry of Finance.

(ख) "अन्य व्यय – भूमि और विकास कार्यालय" – ₹7966.62 लाख की बचत (₹9820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्यस्थता अधिनिर्णय के गैर–समझौते के कारण दिल्ली शहरी आवास शहर बोर्ड को कम निधियां जारी करने की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Land and Development Office" - saving of ₹7966.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9820.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) owing to non-settlement of arbitration award.

(V) मुख्य शीर्ष "2216" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(V) Under Major Head "2216"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास" –

(A) "General Pool Accommodation" -

(क) "रख–रखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹4375.51 लाख की बचत (₹17302.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पद न भरे जाने के कारण हुई।

(a) "Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment" - saving of ₹4375.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17302.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(ख) "अन्य व्यय" – "सम्पदा निदेशालय" – ₹502.92 लाख की बचत (₹7038.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कठोर मितव्ययिता उपाय अपनाए जाने के कारण स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Directorate of Estates" - saving of ₹502.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7038.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses owing to adoption of strict economy measures.

(खा) "अन्य आवास" –

(B) "Other Housing"-

(क) "रखरखाव और मरम्मत" – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1144.09 लाख की बचत (₹5858.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रिक्त पद न भरे जाने के कारण हुई।

(a) "Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment" – saving of ₹1144.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5858.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay & allowances and non-filling up of vacant posts of work charged staff.

(ख) "अन्य व्यय – निर्माण" – ₹650.04 लाख की बचत (₹852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार कठोर मितव्ययिता उपाय अपनाए जाने के कारण स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Construction" - saving of ₹650.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹852.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses owing to adoption of strict economy measures as per directions of Ministry of Finance.

(VI) मुख्य शीर्ष "2217" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "अन्य शहरी विकास स्कीमें" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹12563.41 लाख की बचत (₹18497.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, शहर सुधार बोर्ड इत्यादि" – 100 स्मार्ट सिटी मिशन" – ₹674.02 लाख की बचत (₹15611.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्यों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण (घरेलू स्रोत)" – ₹2370.83 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने और सीएमपी/डीपीआर/अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹16296.91 लाख की बचत (₹185003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "100 स्मार्ट सिटी मिशन" – ₹3701.00 लाख की बचत (₹26601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट सिटी मिशन के स्थापना खर्चों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2217" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Urban Development Schemes" –

(a) "Direction and Administration - Swachh Bharat Mission" – saving of ₹12563.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18497.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies.

(b) "Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Mission for 100 Smart Cities" – saving of ₹674.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15611.00 lakhs) was due to less demand from States under Smart City Mission.

(B) "General – Direction and Administration – Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)" - saving of ₹2370.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and delay in administrative approval for CMPs/DPRs/Research proposals.

(VII) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share –Swachh Bharat Mission" – saving of ₹16296.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185003.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Governments.

(VIII) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/ Share" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Mission for 100 Smart Cities" – saving of ₹3701.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26601.00 lakhs) was due to less demand from Union Territories towards establishment expenses of Smart City Mission.

(खा) "शहरी जीर्णोद्वार मिशन – 500 आवास (अमृत)" – ₹5656.30 लाख की बचत (₹38000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अनुदान जारी करने के कम दावे प्राप्त करने के कारण हुई।

(B) "Urban Rejuvenation Mission – 500 Habitations (AMRUT)" – saving of ₹5656.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for release of grants from Union Territory Governments/Implementing agencies.

(गा) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" – ₹540.82 लाख की बचत (₹998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) को. विड–19 वैश्विक महामारी के कारण संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" – saving of ₹540.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹998.00 lakhs) was due to less demand from Union Territory Governments/ Implementing agencies owing to COVID - 19 Pandemic.

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹663.88 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 65 प्रतिशत थीं।

(IX) Under two heads savings of ₹663.88 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 20 percent and 65 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹679279.57 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा. कि मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹3721971.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

3.(I) The above savings were partly (₹679279.57 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹3721971.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "कार्यालय भवन – "पट्टा प्रभार – स्थानीय निकायों आदि को किरायों, दरों और करों का भुगतान" – ₹5000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4963.68 लाख था।

(A) Major Head "2059" – "Office Buildings – Lease Charges - Payments of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc." – ₹5000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4963.68 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" –

(B) Major Head "2216"-

क) "शहरी आवास – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹636384.57 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹636248.69 लाख था।

(a) "Urban Housing – Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹636384.57 lakhs. Actual excess, however, was ₹636248.69 lakhs.

ख) "सामान्य पूल आवास" –

(b) "General Pool Accommodation"-

(i) "रख–रखाव और मरम्मत – अन्य रख–. रखाव व्यय" – ₹6006.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5955.74 लाख था।

(i) "Maintenance and Repairs- Other Maintenance Expenditure" - ₹6006.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5955.74 lakhs.

(ii) "अन्य व्यय – भवन – पट्टा प्रभार" – ₹23699.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹23646.78 लाख था।

(ii) "Other Expenditure – Buildings - Lease Charges" - ₹23699.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23646.78 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" "शहरी केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम"–

(C) Major Head "3475" – "Urban Oriented Employment Programmes" –

(क) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" – ₹3290.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3225.44 लाख था।

(a) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" – ₹3290.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3225.44 lakhs.

(ख) "स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम – एसवीए निधि स्पेशल मेट्रो क्रेडिट फैसिलिटी" – ₹4900.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4781.07 लाख था।

(b) "PM-SVANidhi Special Micro Credit Facility for Street Vendor" – ₹4900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4781.07 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता – शहरी जीर्णोद्वार मिशन –500 आवास (अमृत)" – ₹809.87 लाख का अधिक व्यय (₹8010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अवार्ड, साइकल 4 चेंज अवार्ड और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2217" – "Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations (AMRUT)" – excess of ₹809.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8010.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Safai Mitra Suraksha Challenge Award, Cycle4change Award and other establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(B) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(a) "Central Assistance/Share" –

(i) "100 स्मार्ट सिटी मिशन" – ₹19371.80 लाख का अधिक व्यय (₹602788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(i) "Mission for 100 Smart Cities" – excess of ₹19371.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹602788.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards completion of all projects under Smart Cities Mission.

(ii) "शहरी जीर्णोद्वार मिशन – 500 आवास (अमृत)" – ₹2884.00 लाख का अधिक व्यय अमृत 2.0 स्कीम को शुरू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(iii) "राष्ट्रीय शहरी आजिवीका मिशन" – ₹3859.00 लाख का अधिक व्यय (₹49465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(iv) "पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना" – ₹9694.05 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(V) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹174146.18 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹548104.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹590707.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹14272.05 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹113800.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹180001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(ii) "Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" – excess of ₹2884.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹684320.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to kick-start AMRUT 2.0 Scheme.

(iii) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - excess of ₹3859.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49465.00 lakhs); and

(iv) "North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)" - excess of ₹9694.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(v) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" – excess of ₹174146.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹590707.00 lakhs including supplementary grant of ₹548104.00 lakhs obtained in December, 2021); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Urban Housing–Other Grants"- excess of ₹14272.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹180001.00 lakhs including supplementary grant of ₹113800.00 lakhs obtained in December, 2021).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) स्कीम के तहत राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" – ₹1189.00 लाख का अधिक व्यय (₹15245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र–उप योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹2991.80 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹38096.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹50001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹10730.00 लाख का अधिक व्यय (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर को स्कीम के तहत अतिरिक्त निधियां जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards release of Central Assistance to State Government under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Scheme.

(ii) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - excess of ₹1189.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15245.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Urban Housing – Other Grants"- excess of ₹2991.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹50001.00 lakhs including supplementary grant of ₹38096.00 lakhs obtained in December, 2021).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/ Share" -

(a) "Swachh Bharat Mission" - excess of ₹10730.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of funds under the scheme to Delhi and Jammu & Kashmir.

(ख) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹534.13 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹3750.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के तहत पुदुच्चेरी तथा जम्मू और कश्मीर द्वारा क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - excess of ₹534.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs including supplementary grant of ₹3750.00 lakhs obtained in December, 2021) was due to requirement of additional funds towards capacity building activities by Puducherry and Jammu & Kashmir under the scheme.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹*493.75 लाख* की बचत हुई और यह स्वीकृत *वि. नियोग* पुनर्विनियोग का 15 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of ₹*493.75 lakhs* occurred under one head constituting 15 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4058" लेखन–सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4058" Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	8500.00	950.00	911.94	-38.06
पु.	R.	-7550.00			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	173421.00			
पू.	S.	6502.00	181665.00	181454.81	-210.19
पु.	R.	1742.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	57200.00			
पू.	S.	13247.00	78967.00	78814.24	-152.76
पु.	R.	8520.00			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	348491.00			
पू.	S.	1.00	435970.00	435969.00	-1.00
पु.	R.	87478.00			
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	974.00			
			262.00	259.53	-2.47
पु.	R.	-712.00			
मुख्य शीर्ष "6217" शहरी विकास के लिए कर्ज	Major Head "6217" Loans for Urban Development				
मू.	O.	1983709.00			
			1894231.00	1894231.00	. .
पु.	R.	-89478.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹101.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹101.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी प्रेस – मुद्रण प्रेस" के अंतर्गत" – ₹7588.06 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रण प्रेस के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4058" – "Government Presses – Printing Presses" - saving of ₹7588.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to non-finalization of Memorandum of Understanding for procurement of Machinery & Equipment for printing presses.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण– अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन" – ₹2541.08 लाख की बचत (₹69100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी गति और कोविड–19 महामारी के कारण पूरे विश्व में सेमीकन्डकटर की भारी कमी के कारण इलैक्ट्रीक वस्तुओं की गैर आपूर्ति के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" – "General – Construction – Office Building of Other Ministries /Departments" – saving of ₹2541.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69100.00 lakhs) was due to slow pace of work and non-supply of electric items on account of worldwide acute shortage of semiconductors owing to COVID- 19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "4250" – "श्रम – भवनों" के अंतर्गत ₹644.01 लाख की बचत (₹874.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4250" – "Labour - Buildings"- saving of ₹644.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹874.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Central Public Works Department.

(V) मुख्य शीर्ष "6217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एमआरटीएएस और मेट्रो परियोजनाएं" – ₹89478.00 लाख की बचत (₹1554309.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य वित्त पोषण एजेंसी के साथ पटना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना करार पर हस्ताक्षर न होने और कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना द्वारा निधियों की कम मांग होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "6217" – "Other Urban Development Schemes - Loans to Public Sector and Other Undertakings – MRTS and Metro Projects"- saving of ₹89478.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1554309.00 lakhs) was due to non-signing of Patna and Indore Metro Rail Project Agreement with external funding agency and less demand of funds by Bhopal and Indore Metro Rail Project owing to COVID - 19 Pandemic.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹267.19 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत थीं।

(VI) Under one head saving of ₹267.19 lakhs occurred constituting 84 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹100448.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹19750.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

6. The above savings were partly (₹100448.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹19750.00 lakhs in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 under the following major heads:-

(V) मुख्य शीर्ष "4059" –

(I) Major Head "4059"-

(का) "सरकारी भवन – निर्माण – भवन" – ₹2400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2316.85 लाख था।

(खा) "सामान्य – निर्माण – खान" – ₹2050.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2024.23 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवास भवन – सामान्य पूल आवास – शहरी विकास निर्माण" – ₹8520.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹8492.36 लाख था।

(III) मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं" – ₹87478.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹87477.00 लाख था।

7. सरकारी गैर–वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधिः–

सरकार की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर–वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के उद्देश्य से आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना मुद्रणालय के कार्य मात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट–फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। बजट प्रावधान विभाग की सूचना के आधार पर किया जाता है।

(A) "Office Building – Construction – Buildings" – ₹2400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2316.85 lakhs.

(B) "General – Construction – Mines" – ₹2050.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2024.23 lakhs.

(II) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Urban Development Construction" - ₹8520.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8492.36 lakhs.

(III) Major Head "4217" – "Other Urban Development Schemes- Investments in Public Sector and Other Undertakings – MRTS and Metro Projects" - ₹87478.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹87477.00 lakhs.

7. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for Introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि की नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय–समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2021–2022 के लिए सरकार की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर–वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2021-2022 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	47,26,22
प्राप्तियां	Receipts	2,12,42
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	49,38,64